

सचलानालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

क्रमांक-4/मु.मं.बा.ह.उ.यो./2012/

2599

भोपाल दिनांक 30/08/2012

प्रति,

समस्त संभागीय सयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश।

विषय:-मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अन्तर्गत 0 वर्ष से 15 वर्ष के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार के संबंध में।

सन्दर्भ:-क्रमांक-4/मु.मं.बा.ह.उ.यो./2011/164 दिनांक 28.09.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है मुख्यमंत्री हृदय योजना के अन्तर्गत 0 से 15 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को की गरीबी रेखा के नीचे एवं ऊपर है, को निःशुल्क उपचार हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। इस हेतु बच्चों के हृदय रोग की चिन्हीत बीमारियों के लिए 1,00,000/- अधिकतम राशि निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को संभागीय समिति से परीक्षण कराकर पात्र बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है।

संचालनालय के संदर्भित पत्र में योजना अन्तर्गत बी.पी.एल.के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे। विभाग में लिये गये निर्णय अनुसार, अब मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के सभी बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. के प्रकरणों की स्वीकृति जिला स्तर पर, राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत गठित समिति की अनुशांसा पर किये जावेगें। योजना अन्तर्गत सभी प्रकरणों की समीक्षा एवं अनुमोदन संभागीय समिति से पूर्व की जाती कराया जाना होगा।

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 30/08/2012

पृ. क्रमांक-4/मु.मं.बा.ह.उ.यो./2012/

2600

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, अध्यक्ष म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि।
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
6. निज सहायक, डी.पी.एच./डी.एम.एस./डी.एम.ई.।
7. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक, एस.आई.ए.एफ. (राज्य समन्वयक), स्थानीय कार्यालय।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अन्तर्गत संभागीय स्तरीय समिति से प्रकरणों के परीक्षण के उपरान्त ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. के अन्तर्गत आने वाले बच्चों को जिला स्तर पर ही लाभांशित किया जाए।
11. समस्त, कलेक्टर/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, स्थानीय कार्यालय।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

१८